उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-3/2023/वे0आ0-2-121/दस-35(एम)/2008

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वांछित कार्यवाही के संपादन हेतु गठित वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के लिए सृजित 01 नि:संवर्गीय पद का कार्यकाल कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2022/वे०आ०-2-103/दस-35(एम)/2008, दिनांक 11 मार्च, 2022 द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक के लिए बढ़ाया गया।

2- तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वेतन समिति की प्राप्त संस्तुतियों को मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने एवं तदोपरांत मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परीक्षण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के रूप में वेतन समिति हेतु सृजित निम्नलिखित 01 नि:संवर्गीय पद का कार्यकाल दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक के लिए, यदि इसके पूर्व ही इस पद को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पुनरीक्षित मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल-7 (वेतनमान रू0 44900-122400)	01

3- उपर्युक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स लेवल में वेतन के अतिरिक्त महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधायें जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

4- उपर्युक्त सृजित पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-3/2023/वे0आ0-2-121/दस-35(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) आहरण वितरण अधिकारी, वेतन समिति (02 प्रतियों में)।
(4) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in